

केन्द्रीय विद्यालय सरायखास, जालंधर - 144805

(फोन : 0181-2780090)

वर्ष 2018-2019 हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन

केन्द्रीय विद्यालय सरायखास, जालंधर, पंजाब वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पंजीकरण/ नवीनीकरण हेतु विभिन्न निर्माता एवं सेवा प्रदानकर्ता फार्मों जो कि कंप्यूटर हार्डवेर एवं सॉफ्टवेर, मैडल, मुद्रण एवं प्रिंटिंग और प्रकाशन के कार्य, फ़र्निचर एवं फिक्चर , पुस्तकालय की किताबें ,स्टेशनरी , फोटोग्राफी , प्रयोगशाला का सामान , वाद्ययन्त्र, खेल-कूदका सामान ,दृश्य एवं श्रव्य (Audio Visual Aids) के साधन, बिजली का सामान, वाच एवं वार्ड की सेवाएं आदि,कंप्यूटर, फोटोस्टेट, फैक्स एवं रिजो मशीन की एएमसी की सेवा इत्यादि संबंधी व्यवसाय करतें हों वे सभी आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्त सेवाएँ सुविस्तृत नहीं हैं, अतः अन्य व्यवसायों से जुड़े व्यापारी भी पंजीकरण करवा सकते हैं ।

सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म विद्यालय की वैबसाइट www.kvsaraikhas.org से डाउनलोड कर By Post/By Hand दिनांक 20.03.2018 तक जमा करवाएं ताकि कोटेशन की कारवाई शीघ्र समाप्त हो सके। पंजीकरण वर्ष भर करवाया जा सकता है परंतु आवेदन पर कारवाई उसके प्राप्त होने के पश्चात ही होगी। प्रत्येक आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पैन् /टिन/सेल टैक्स/वैट संख्या कि प्रतिलिपियां आवश्यक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें। लेबर/सर्विस प्रदान करने वाले ई .पी.एफ, ई .एस .आई., सर्विस टैक्स संख्या आदि की प्रतिलिपियां आवेदन के साथ अग्रेषित करें ।

प्राचार्या , के. वि.सरायखास

जालंधर ,पंजाब 144805

आवश्यक सूचना : पंजीकरण के लिए अधिमान विशिष्ट व्यवसायी/सेवा प्रदान करने वालों को मिलेगा अतः आवेदक केवल उसी समान के लिए आवेदन करें जिसमें वह मुख्य व्यवसाय करता हो।